IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

दिव्यांग महिलाओं की शिक्षा व पुनर्वास

डॉ. आभा श्रीवास्तव (प्रधानाचार्य)
आई.ए.एम.आर. (बी.एड.) कॉलेज दुहाई,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश
एवं
अजीत सिंह पटेल (सहायक प्राध्यापक)
मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
राजिंदर नगर ,दिल्ली-110060

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।।

सार संक्षेप :

प्रारंभ से ही मानव जीवन की उत्पत्ति का मूल आधार स्त्री ही है, बिना स्त्री के किसी भी समाज की कल्पना असंभव है क्योंकि वह जननी है, परिवार का निःस्वार्थ भाव से भरण पोषण करती है व अगली पीढ़ी की नीव रखती है। स्त्रियों को समय के साथ-साथ विभिन्न भूमिकायें अदा करनी पड़ती हैं, सर्वप्रथम बेटी के रूप में वह पिता के आँगन को चहकाती है और समय के साथ- साथ माँ की पर्याय बन जाती है, बहन के रूप में भाई की प्रथम साथी और उसकी अठखेलियों की भागीदारी करती है वह परिवार के लिए एक कली से परिपक्व होते हुए अटल चट्टान के रूप में खड़ी होकर परिवार की जिम्मेदारियों को ओढ़ लेती है। जैसे ही वह जिम्मेदारियां निभाने लगती है इस पौध की बगिया बदल दी जाती है जहाँ उसका स्वरुप बहू के रूप में रूपांतरित हो जाता है नये परिवार में नए लोगों के बीच अपनी जगह बनाते हुए नये संबंधों को निभाते हुए अपने को नये सांचे में ढालते हुए पुन: अपनी पहचान को नये आयाम देने के लिए तत्पर रहती है। यह हर आम लड़की की कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। परन्तु हम यहाँ उन महिलाओं की बात कर रहे जिन्हें जन्म से जीवन के आखिरी पड़ाव पर दूसरे के उपर आश्रित रहना पड़ता है आप समझ गये होंगे हम किन स्त्रियों की बात कर रहे है हम यहाँ उन दिव्यांग महिलाओं एवं बच्चियों की बात कर रहे जो जन्म से बाद में किसी कारणवश दिव्यन्गता की शिकार हुई है प्रारभ से लेकर आज तक दिव्यांग स्त्रियों को समाज रुढ़िवादी व नकारात्मक सोच ने इनके सर्वांगीण विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाला है इसके तहत वे घर की चाहरदिवारियों तक सीमित रह गई इतना ही नही समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हम जानते हैं कि दिव्यांग स्त्रियों की इस दशा का जिम्मेवार घर, परिवार व समाज द्वाराअस्वीकृति रही है जहां पर दिव्यांग स्त्रियों के लिए घर,परिवार व समाज द्वारा उन्हें स्वीकार किया गया है उन्हें अपने सर्वागीण विकास में मदद मिली है परंतु दिव्यांग स्त्रियों ने समय-समय पर अपनी प्रतिभा का समाज के सामने लोहा मनवाया है। जिसका उदाहरण के रूप में सुधा चंद्रन (अभिनेत्री और शास्त्रीय नर्तकी)प्रीती श्रीनिवासन (महिला क्रिकेट टीम की कप्तान)अरुणिमा सिन्हा (पर्वतारोही) साधना ढोंड (पेंटिंग) मालती कृष्णमूर्ति (पैरा-एथलीट) इरा सिंघला (प्रथम आई.एस. अधिकारी) चरणजीत कौर (बैटमिन्टन) जानते है। ये महिलाएं जीवन में आने वाली तमाम संघर्षों के बावजूद हिम्मत नही हारी और आज भारत ही पूरे विश्वपटल पर उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इतना ही नही ये दिव्यांग महिलायें अपने परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग कर रही हैं साथ ही साथ अपने परिवार तथा देश के आर्थिक विकास में अपना प्रमुख योगदान दे रही हैं ।

मुख्य बिंदु :पुनर्वास,दिव्यांगता,मनोवृति,समेकित शिक्षा,समावेशी शिक्षा,आजीविका,प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन,सर्वशिक्षा अभियान,सतत विकास ।

परिचय:

हाय, लड़की है और वो भी लंगड़ी, कौन करेगा इससे शादी। अरे, ये लंगड़ी है, इसे अपनी टीम में मत लेना, टीम हार जाएगी। बेटा तुम दूसरे गेम खेलों, भागदौड़ वाले गेम में तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग सकती है... गली में खेलने वाले बच्चे और स्कूल के साथी मेरा मजाक बनाते तो पड़ोसी और रिश्तेदार मुझ पर तरस खाते। इस सबका का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मैंने जिंदगी के कोर्ट में दिव्यांगता को शटल समझ लिया। यही वजह है कि अब लोग मेरी कमजोरी नहीं ताकत देखते हैं। यह कहना है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक दर्जन से ज्यादा मेडल लेने वाली पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चरणचीत कौर का । (**दैनिक भास्कर डिजिटल की रिपोर्टर दीप्ति मिश्रा और पारुल रांझा 2015(**

मानव समाज तथा सभ्यता के विकास में हुए परिवर्तन के कारण शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों की शिक्षा के प्रति समाज की सोच और माता-पिता की स्थिति तथा व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। प्रारम्भ में तो दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था यहाँ तक कि ऐसे बच्चों को ईश्वर का अभिशाप तथा माता-पिता के कर्मों का फल माना जाता था और ऐसे बच्चों को परिवार व समाज पर बोझ समझा जाता था। उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, आजीविका तथा पुनर्वास के बारे में विशेष प्रयास नहीं किये गए। आगे उनकी शिक्षा के लिये एक प्रयास किया गया, लेकिन बाधित बालकों को अन्य बालकों से पूर्णतः भिन्न समझा गया और उन्हें अलग से विशेष विद्यालय खोलकर शिक्षा देने की बात की गई शिक्षा व्यवस्था का सामान्य तन्त्र इन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयाप्त नही थे। इसलिए देश और विदेश में पहली बार विशिष्ट शिक्षा देने के लिये विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाएँ खोली गई । इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांग बालकों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देना था। शारीरिक रूप से बाधित बालकों की शिक्षा का कार्य उनके माता-पिता से तथा सामान्य बालकों से अलग विशिष्ट स्कूल व विशिष्ट शिक्षकों द्वारा देने की बात की गई । जैसे-जैसे समय का चक्र आगे बढ़ा विश्व के विकसित देशों में दिव्यांगजन की शिक्षा पर ज़ोर दिया गया तथा दिव्यांगजनों के माता-पिता व बच्चों को संरक्षण प्रदान करते हुए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया ।

आजादी से पूर्व भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा:

प्राचीन समय से दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में चाहे वह पाश्चात्य देश हों या भारत, सभी देशों में इन बच्चों की शिक्षा को लेकर सदैव नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। प्राचीन समय में कई ऐसे उदहारण देखने को मिलते हैं ,जहाँ जन्म के पश्चात उनके माता-पिता द्वारा दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों का जीवन ऊँचे पहाड़ो से नीचे अथवा समुद्र में फेंक कर समाप्त कर दिया जाता था। ज़रा सोचिए जिस विकसित समाज के लोगों की मनोवृति दिव्यांग बच्चों के प्रति ऐसी हो तो उनकी शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा रहा होगा इसकी हम कल्पना भी नही कर सकते हैं परन्तु जैसा की हम जानते हैं कि समय, समाज और सोच परिवर्तनशील है। इसी क्रम के आधार पर परिवार,समाज,संगठन, सरकार,मित्रों तथा तकनीकों की सहायता से अब दिव्यांगों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि उन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त हों तो दिव्यांगता उनकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती।

वैश्विक स्तर पर दिव्यांग छात्रों की शिक्षा का इतिहास सिर्फ दो शताब्दियों पुराना है। 18वीं शताब्दी में घटित फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना है, जिसे इतिहास के विद्यार्थियों के साथ-साथ सामान्य ज्ञान रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है,उसी समय फ्रांस में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को लेकर दो बड़े परिवर्तन हुए। जिसमें दृष्टिबाधित तथा मानसिक बाधायुक्त बच्चों की शिक्षा के लिए औपचारिक शिक्षा का बीजोरोपण हुआ। हालाँकि भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की शुरुआत मिशनरियों द्वारा की गई किन्तु इसके प्रचार-प्रसार का कार्य भारतीयों द्वारा दिव्यांग बच्चों की देखभाल और मदद के वैश्विक रुझानों को देखते हुये स्वयं किया गया। जन्म की अवधारणा और 'कर्म' के सिद्धांत ने लोगों को निराश्रित व दिव्यांग व्यक्तियों की देखरेख, शिक्षा व पुनर्वास के लिए विभिन्न संस्थानों का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया।

आजादी के बाद भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा:

आजादी के बाद भारत में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों के प्रयास में तेजी आई । भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों, जिसमें दिव्यांग बच्चे भी सम्मिलित

हैं, के लिए बेहतर शिक्षा सेवाओं का आश्वासन दिया गया और इसके लिए शिक्षा मंत्रालय में दिव्यांग छात्रों के लिए एक अलग इकाई की स्थापना की गई। यह इकाई संघ सरकार के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा व पुनर्वास सेवाओं के विस्तार के लिए केंद्र बिंदु बन गई। इसी इकाई के प्रयासों के चलते ही भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय संस्थानों के निर्माण की अवधारणा को बल मिला। भारत सरकार द्वारा 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। यह आयोग भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए लिए गठित की गई थी,कोठारी आयोग द्वारा बनाई गई कार्य योजना में दिव्यांगजनों की शिक्षा की बात कही गयी जिसमे कहा गया कि **"दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, शिक्षा प्रणाली का एक अविभाज्य हिस्सा होना चाहिए"**। भारत सरकार द्वारा **प्रथम शिक्षा आयोग** 1986 में बनाया गया जिसमे दिव्यांगजनों की शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया गया है जिसके महत्त्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार है -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के खंड (4.9(शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से विकलांगों को शिक्षा देने का उद्देश्य यह होना चाहिये कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पूरे भरोसे और हिम्मत के साथ जिन्दगी जिए। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किये जाएंगेः-

- विकलांगता अगर हाथ पैर की या मामूली सी है,तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई आम बच्चों के साथ हो।
- गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिये छात्रावास वाले विशेष स्कूलों की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल, जहाँ तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाएंगे।
- विकलांगों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।
- शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायेगा ताकि वे विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक तरह से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।
- विकलांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया जायेगा।

वर्ष 1974 में समाज कल्याण विभाग द्वारा सबसे पहले **समेकित शिक्षा** (**Integrated Education**) की बात कही गयी यह सबसे पहले दिव्यांग बच्चों को उनके आस-पास के स्कूलों में नामांकन कराने से सम्बंधित प्रस्ताव लेकर आया और इसका प्रमुख उद्देश्य था कि दिव्यांग बच्चों की स्कूलों तक पहुँच बनाई जाए। यहीं हम आपको बताते चले कि भारत में दिव्यांगजनों की शिक्षा के प्रारम्भ में अलगाव फिर समेकन और अब समावेशन की बात कही जा रही है।

एशियाई और प्रशांत क्षेत्र संबधी आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की दशाब्दी (1993-2002) के आरंभ करने के लिए 1 दिसंबर 1992 को पेइचिंग में बुलाए गए अधिवेशन में एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में निःशक्त व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता सम्बन्धी उदघोषणा को अंगीकार किया गया इसके साथ ही भारत में भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.) को 1986 में एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। सितंबर, 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 22 जून 1993 को एक सांविधिक निकाय बन गया। इस अधिनियम में दिव्यांगजन व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और मॉनिटर करना, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करना और पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी योग्य पेशेवरों और कर्मियों के केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखना है। यह अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी निर्धारित करता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्थानों और विकलांगता पर शीर्ष संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को पंजीकृत करने के लिए जिसके फलस्वरुप भारत में वर्ष 1995 में "**निःशक्तजन अधिनियम 1995** " सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बनाया गया जिसमें कुल 07 प्रकार की दिव्यांग्ता को सम्मिलित किया गया था जिसमें:-

1-दृष्टिबधिता 2-कम दृष्टि 3-कुष्ठरोगमुक्त 4-श्रवणशक्ति का ह्रास 5-चलन निःशक्तता 6-मानसिक मंदता 7-मानसिक रुग्णता

वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा **प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन** लाया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य 1986 की राष्ट्रीय नीति में किये गये उपबंधों को जल्द से जल्द लागू करके **सतत् विकास** के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इसके साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा 2001 में **सर्वशिक्षा अभियान** लाया गया जिसमे सभी की शिक्षा (**Education for all**) देने की वकालत की गई जिसमे समावेशन के साथ विकास को विशेष जोर दिया गया।

इसी प्रकार से माध्यमिक स्तर पर दिव्यांगजनों की समावेशी शिक्षा योजना (IEDSS) वर्ष 2009-10 से प्रारम्भ की गई है। यह योजना दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना (IEDC) संबंधी पहले की योजना के स्थान पर है और कक्षा IX-XII में पढने वाले दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। यह योजना अब वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई है।

वर्ष 2009 के शिक्षा अधिकार अधिनियम के माध्यम से सभी बच्चों के लिए 06-14 वर्ष की नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों को नए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD Act 2016) के अंतर्गत 06 से 18 वर्ष तक समतामूलक व उचित व्यवस्था में शिक्षा पाने के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। वर्ष 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPWD Act) कानून के रूप में सामने आया और इसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चलाई जा रही शिक्षा, सुरक्षा,पुनर्वास व कल्याण सेवाओं को एक नया आयाम प्रदान किया ।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है,अधिनियम में निम्नलिखित निर्दिष्ट अक्षमताएं शामिल हैं-

क्रम संख्या	दिव्यांगता के प्रकार	क्रम संख्या	दिव्यांगता के प्रकार
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	12.	विशिष्ट सीखने की अक्षमता
2.	कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति	13.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर
3.	मस्तिष्क पक्षाघात	14.	बौद्धिक अक्षमता
4.	बौनापन	15.	मानसिक व्यवहार (मानसिक बीमारी)
5.	मांसपेशीय दुर्विकास	16.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस
6.	एसिड अटैक पीड़िता	17.	पार्किंसंस रोग
7.	अंधापन	18.	थैलेसीमिया
8.	कम दृष्टि	19.	सिकल सेल रोग
9.	पूर्ण श्रवण बाधा	20.	बहु दिव्यांगता
10.	आंशिक श्रवण बाधा	21.	हीमोफीलिया
11.	भाषण और भाषा विकलांगता		

<u>नई शिक्षा नीति 2020 में दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए:</u>

6.1 में उल्लेख है कि शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करने का एकमात्र और सबसे प्रभावी साधन है। समतामूलक और समावेशी शिक्षा न सिर्फ स्वयं में एक आवश्यक लक्ष्य है, बल्कि समतामूलक और समावेशी समाज के लिए अनिवार्य कदम है जिसमे प्रत्येक नागरिक को सपने सजोने, विकास करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का अवसर उपलब्ध हो यह शिक्षा नीति ऐसे लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ती है। जिससे भारत देश के किसी भी बच्चे के सीखने और आगे बढने के अवसरों में उसकी जन्म या पृष्ठभूमि से सम्बंधित परिस्थितियां बाधक ना बन पायें।

भारत में दिव्यांग स्त्री की शिक्षा की दशा आज भी काफी दयनीय है आंकड़े हमें यह बताते हैं कि दिव्यांग पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शिक्षा आज भी बहुत कम है जब दिव्यांग स्त्रियों को शिक्षा से अभी भी वंचित होना पड़ा है तो उनके आर्थिक पुनर्वास का सवाल उठना जायज है। इस सवाल का उत्तर हम अपने स्वयं से पहुंचे की दिव्यांगजनों की शिक्षा और पुनर्वास में हम हमारा परिवार समाज विद्यालय किस प्रकार योगदान दे कि वह भी समाज के एक गौरवशाली व्यक्तित्व के रूप मेंअपना योगदान कर सके ।

भारत सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे आकर्षक नारे के बावजूद जनसांख्यिकीय लाभांश के सबसे बड़े घटक- महिलाओं को अभी तक अधिकांशतः उपेक्षित ही रखा गया है। यू.एन. इंडिया बिज़नेस फोरम की फैक्टशीट के निम्नलिखित आँकड़ों पर विचार विचार किया जाना चाहिये जो लैंगिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हैं:

- सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं के योगदान के मामले में वैश्विक औसत 37 प्रतिशत की तुलना में भारत में महिलाओं का योगदान मात्र 17 प्रतिशत है।
- यदि महिलाएँ भी पुरुषों के समान अर्थव्यवस्था में भागीदारी करें तो इससे वर्ष 2025 तक भारत की वार्षिक जीडीपी में 2.9 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
- केवल 14 प्रतिशत भारतीय व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित हैं। भारत में महिलाओं द्वारा किये गए 51 प्रतिशत से अधिक कार्य अवैतनिक हैं और 95 प्रतिशत कार्य अनौपचारिक/असंगठित हैं।

- कृषि श्रम में महिला कृषकों की संख्या 38.87 प्रतिशत है, लेकिन अभी तक भारत में केवल 9 प्रतिशत भूमि पर उनका नियंत्रण है, जबकि 60 प्रतिशत महिलाओं (पुरुषों के अनुपात का दोगुना) के नाम पर भूमि या आवास जैसी कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं है।

आकड़ों की व्याख्या:

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ) द्वारा जुलाई, 1959 से जून, 1960 के दौरान 15 वें दौर में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या पर पहली बार आकड़े इकठ्ठा करने का पहला प्रयास किया था। हालांकि, उन आंकड़ों में कई आवश्यक विवरण नहीं थे, न ही यह एक नियमित कार्यक्रम था। 1881 और 1931 के दौरान प्रति 1 लाख जनसंख्या का लगभग 0.23 प्रतिशत से 0.37 प्रतिशत। दुर्बलताओं में बौद्धिक अक्षम, श्रवणबाधा, गूंगापन, दृष्टिहीन और कुष्ठ रोग शामिल थे। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (आरजी और सीसीआई) ने 2001 और 2011 की जनगणना में दिव्यांगता की स्थिति पर प्रश्न शामिल किया था। 2011 की जनगणना के निष्कर्षों का सारांश निम्नानुसार है : -
भारत में 121 करोड़ की आबादी में से 2.68 करोड़ व्यक्ति 'दिव्यांग' हैं जो कुल जनसंख्या का 2.21% है।

क्रम संख्या	**2011 में भारत में दिव्यांग व्यक्ति**		
1.	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएँ
2.	2.68 करोड़	1.5 करोड़ (56%)	1.18 करोड़ (44%)

- उपर्युक्त आकडे यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि दिव्यांग जनसंख्या में 56% (1.5 करोड़) पुरुष हैं और 44% (1.18 करोड़) महिलाएँ हैं। कुल जनसंख्या में पुरुष और महिला जनसंख्या क्रमशः 51% और 49% है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है की पुरुष दिव्यांग की अपेक्षा महिला की संख्या कम है पुरुषों और महिलाओं में दिव्यांग आबादी का प्रतिशत क्रमशः 2.41% और 2.01% है। अखिल भारतीय स्तर पर और साथ ही विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा विभाजित रूप में, संगत जनसंख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का अनुपात महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक है।इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं की संख्या काफी है।

भारत में लिंग और निवास के आधार पर दिव्यांग व्यक्तियों की साक्षरता स्थिति की तुलना - जनगणना, 2011 (आँकड़े % में)।

		शिक्षित		**अशिक्षित**	
क्रम संख्या		**शहरी**	**ग्रामीण**	**शहरी**	**ग्रामीण**
1	व्यक्ति	49	67	51	33
2	पुरुष	58	72	42	28
3	महिला	37	61	63	39

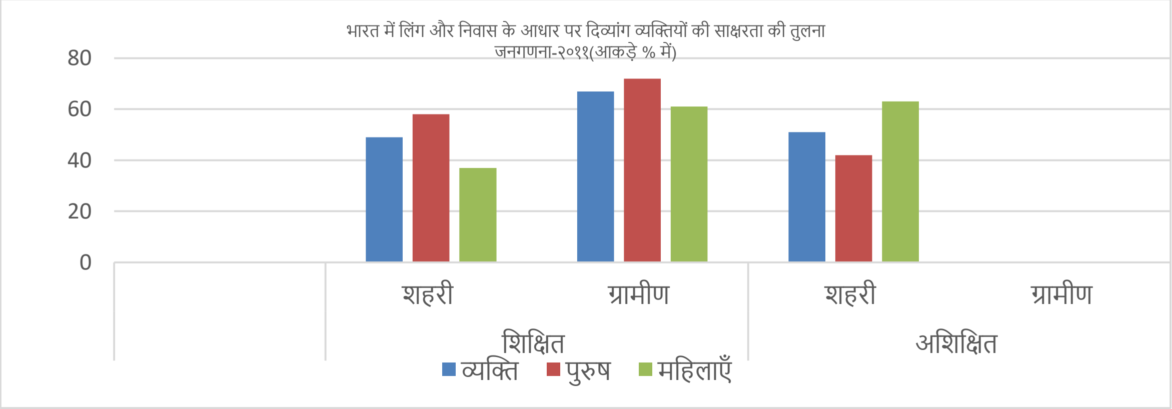

स्रोत :जनगणना 2011

- 2001-2011 के दौरान, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में और पुरुषों और महिलाओं में भी दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि देखी गई। इस अवधि के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों की जनसंख्या का अंश कुल जनसंख्या के साथ-साथ पुरुष और महिला जनसंख्या में भी बढ़ गया। कुल जनसंख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिशत 2001 में 2.13% से बढ़कर 2011 में 2.21% हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में, 2001 में 2.21% से बढ़कर 2011 में 2.24% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में, इस अवधि के दौरान, यह 1.93% से बढ़कर 2.17% हो गई। इस अवधि के दौरान पुरुषों और महिलाओं के बीच भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति देखी गई। इसके पीछे कई कारण हो सकते है जिसमें, हमारा गलत खानपान,रहन-सहन का स्तर,जागरूकता का अभाव, सही इलाज का आभाव आदि

अब हम बात करेगें कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार या आजीविका के साधन क्या थे? और अभी तो यह कहा जा सकता है कि जितना रोजगार होना चाहिए उतनी अभी नही है आकड़े हमें बताते है कि..

भारत में कुल दिव्यांग व्यक्तियों में सम्बन्धित आयु वर्ग के अनुसार कामगार, मुख्य कामगार और सीमांत कामगार का अनुपात - जनगणना 2011

दिव्यांग	कामगार (डब्ल्यूपीआर)	मुख्य कामगार	सीमांत कामगार
कुल	36.3	26	10.3
0-14	4.1	1.8	2.3
15-59	50.5	36.9	13.6
60+	28.3	19.3	9
आयु नहीं लिखी गई है	37.5	26.2	11.6

स्रोत: भारत जनगणना 2011

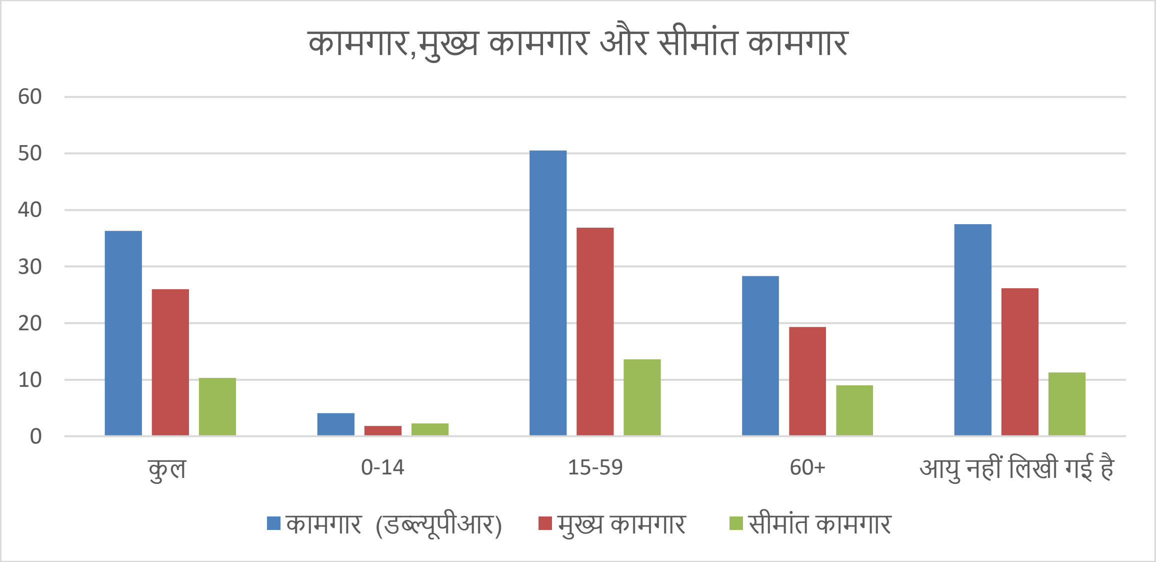

स्रोत: डब्ल्यूपीआर – कामगार जनसंख्या अनुपात भारत जनगणना 2011

- 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांग गैर-कामगार 1.7 करोड़ हैं, उनमें से 46% पुरुष और 54% स्त्री थीं।
- कुल दिव्यांग गैर-कामगारों में, लगभग 46% 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में, 31% 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में और 23% 60+ वर्ष के हैं। पुरुष दिव्यांग गैर-कामगारों में, 42% 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के थे, जबकि 49% स्त्री दिव्यांग गैर-कामगार इस आयु वर्ग की थीं। जबकि पुरुष और स्त्री दिव्यांग गैर-कामगार दोनों के लिए, दिव्यांग गैर-कामगारों की हिस्सेदारी 60+ वर्ष के आयु वर्ग की तुलना में 0-14 आयु वर्ग में अधिक है, स्त्रियों के लिए अंतर कम है।

- प्रत्येक दो दिव्यांग गैर-कामगारों में से एक अपने परिवार पर निर्भर है। पुरुष दिव्यांग गैर-कामगारों में, लगभग 33% विद्यार्थी हैं, जबकि इसी श्रेणी की महिलाओं की संख्या 22% है।

भारत में दिव्यांग महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में कमी का कारण :

भारतीय अर्थव्यवस्था में विकलांग महिलाओं का योगदान न होने के पीछे कई कारण हो सकते है जिसमे,शिक्षा,स्वाथ्य, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक संरचना , और सरकारी नीति- नियम संबंधी प्रमुख है:

1. **दिव्यांग महिलाओं में शिक्षा का आभाव:**
   भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांग महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 45.42% थी, जबकि गैर-दिव्यांग महिलाओं के लिए यह 74.04% थी। दिव्यांग पुरुषों की साक्षरता दर 62.22% अधिक थी, जो दिव्यांग आबादी के भीतर लैंगिक असमानता को दर्शाता है।आकड़ा बताता है की महिलाओ की शिक्षा में कमी है जिसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा।
2. **समाज की पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी सोच :**
   दिव्यांग महिलाओं को अक्सर अपने परिवार,समाज में सामाजिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है जो उनकी कार्य क्षमताओं और संभावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा जो उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेल देता है, जिससे उनका मनोबल टूट जाता है और वे अपने तथा देश के विकास में योगदान नही कर पाती है।
3. **अस्वीकृति :** स्त्रियों को आज भी बाहर काम के लिए लोगों में स्वीकृति नही है क्योकि उनका मानना है कि ये घर में रहेंगी और बच्चों का पालन पोषण करेंगी यह सोच कहीं न कहीं उन्हें समाज में अपने विकास के लिए प्रभावित कर रही है इतना ही नही लिंग और दिव्यांगता दोनों के आधार पर भेदभाव विशेष रूप से गंभीर है, जिससे शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हुआ है।
4. **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार:** दिव्यांग महिलाओं की ज़रूरतों के हिसाब से देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी के कारण उनके कौशल और नौकरी के बाज़ार की माँगों के अपने आपको तैयार नही कर पाती है। रोजगार के बाज़ार में अभी भी दिव्यांग महिलाओं के लिए सामान अवसरों की कमी है इसके साथ ही साथ कार्यस्थल पर भेदभाव और उचित सुविधाओं की कमी के कारण उनके रोजगार की संभावनाओं में बाधा डालती है।
5. **अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधायें और उनकी पहुँच संबंधी मुद्दे:** दिव्यांग महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधायों का आभाव है और अधिकतम कार्य स्थल पर उनकी दिव्यन्गता अनुसार भौतिक संरचना का अभाव है जिसके चलते वे अपने रोजगार कार्यस्थल कई कठिनाइयों का सामना करन पड़ती हैं।
6. **सरकारी नीति- नियमों के कार्यान्वयन में बाधा :** भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 1995 में सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नि: शक्तजन अधिकार अधिनियम आया जिसमें 07 दिव्यांगता से ग्रसित लोगों की शिक्षा व पुर्नवास से संबंधित था। बाद में इसे और परिवर्तित करके उनके अधिकारों में शामिल किया गया जिसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 आया, जिसमें कुल 21दिव्यांगता शामिल किया गया है। इन कानूनों के आने के बावजूद आज भी यह पूर्णत: परिपालन में नही है क्योकि जागरूकता का अभाव है।

दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार के लिये कौन-से उपाय किये जाने चाहिये ?

- दिव्यांगजनों के लिये रोज़गार के अधिक अवसर पैदा करने और उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं सहायता प्रदान करने अवसर मिलना चाहिए ।
- सभी सरकारी और निजी क्षेत्र को RPWD अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करना चाहिये, जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिये 4% आरक्षण और दिव्यांगजनों को रोज़गार देने वाले नियोक्ताओं के लिये प्रोत्साहन का निर्देश देना साथ ही साथ 5 % आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन का समुचित पालन कराना।

- 2015 में शुरू की गई सुगम्य भारत अभियान के द्वारा स्कूलों, अस्पतालों, परिवहन प्रणालियों और सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगजनों के लिये अधिक सुगम्य और उपयोगकर्ता के अनुकूल तैयार करना।
- सार्वभौमिक डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाकर सभी भवनों मेट्रो,रेलगाड़ी ,बस स्टैंड और रैंप, लिफ्ट, संकेत चिह्न/साइनेज (signages), टैक्टाइल पैथ, सहायक उपकरण एवं दिव्यांगजनों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली अन्य सुविधाएँ प्रदान कर ऐसा किया जा सकता है।
- दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में आम लोगों में जागरूकता करना व उन्हें संवेदनशील बनाने तथा दिव्यांगों से जुड़ी सामाजिक भ्रांतियों एवं गलत धारणाओं को दूर किया जाना चाहिए ।
- दिव्यांगजनों की प्रतिभा एवं उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न अभियान, कार्यशाला, सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन कराना व अधिक से अधिक प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- विभिन्न मीडिया और शिक्षा प्रणाली भी दिव्यांगजनों की सकारात्मक एवं सम्मानजनक छवि के निर्माण और समावेशन एवं विविधता की संस्कृति को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकती है।
- दिव्यांगजनों की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण के लिये कानूनी और नीतिगत ढाँचे को सुदृढ़ करने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- सरकार को दिव्यांगजनों हेतु क्रियान्वित कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये पर्याप्त संसाधन एवं धन आवंटित करना चाहिये तथा उनके परिणामों एवं प्रभाव की निगरानी करनी चाहिये।
- सरकार को दिव्यांगजनों को प्रभावित करने वाले कानूनों एवं नीतियों के निर्माण एवं समीक्षा में दिव्यांगजनों और उनके संगठनों की भागीदारी एवं परामर्श को भी सुनिश्चित करना चाहिये।
- सरकार को दिव्यांगजनों के मुद्दों और शिकायतों से निपटने के लिये न्यायपालिका, पुलिस एवं प्रशासन की जागरूकता एवं क्षमता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिये।
- सरकारी नीतियों और उनके लक्षित लाभार्थियों के बीच के अंतराल को दूर करने के लिये ज़मीनी स्तर पर क्षमता निर्माण का अवसर मिलना चाहिए
- समुदाय के नेता दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं लाभों का पक्षसमर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये उनका प्रशिक्षण आवश्यक है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त लेख से हमें यह बात स्पष्ट होती है कि जिस प्रकार से दिव्यांग स्त्रियों ने अपनी दिव्यांगता पर विजय प्राप्त करते हुए समाज व अन्य लोगों को, जो सोचते हैं कि दिव्यांग स्त्रियाँ केवल और केवल सहानुभूति की पात्र हैं उनकी सोच पर कड़ा प्रहार किया है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से काम नहीं हैं चाहे वह शिक्षा, चिकित्सा,परिवहन,इंजीनियरिंग,व्यापार व अन्य क्षेत्र जहां इन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर निडर होकर यह बता दिया है कि हम किसी से काम नहीं, परंतु आज भी जो नकारात्मक सोच समाज के लोगों में इनके प्रति बना है जिस पर समाज व राष्ट्र के प्रमुख सुधारकों को यह ध्यान देना होगा कि इन्हें समाज व राष्ट्र में प्रतिष्ठित स्थान दिलाने के लिए बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में स्वीकार करें व इन्हें अबला न समझे इससे ही राष्ट्र का हित है।

विशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल (Unique Disability Identification Portal)

- सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign)
- दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deen Dayal Disabled Rehabilitation Scheme)
- दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना (Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances)
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)

- दिव्यांगजनों के अद्वितीय पहचान पत्र (Unique ID for persons with disabilities- UDID)
- "Guidelines for Development of e-content for School and Teacher Education" Version 3.0

विभिन्न दिव्यान्गता के राष्ट्रीय संस्थान :

http://rehabcouncil.nic.in/

http://ayjnihh.nic.in/index.asp

http://www.iphnewdelhi.in/Home.aspx?ReturnUrl=%2f

http://niepid.nic.in/abtmain.php

http://nivh.gov.in/

http://niepmd.tn.nic.in/aboutus.php

http://www.svnirtar.nic.in/?q=node/1
http://www.thenationaltrust.gov.in/content/innerpage/introduction.php

सन्दर्भ ग्रन्थ :

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ) आंकड़े 2011.
- विकलांगता के मनोसामाजिक पहलू, दूसरा संस्करण(परामर्शदाताओं के लिए अंदरूनी दृष्टिकोण और रणनीतियाँ) मारिनी, इरमो, पीएचडी, सीआरसी, सीएलसीपी | ग्राफ, नोरीन एम., पीएचडी, सीआरसी | मिलिंगटन, माइकल जे., पीएचडी (प्रकाशित: अक्टूबर 2017(
- एडिटोरियल 04/12/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "India, disability inclusion and the power of 'by'"
- हेरलॉक, ई.बी: बाल विकास, न्यू यार्क, एमसी मिलन कंपनी 1972
- कुमार संजीव: (2008) विशेष शिक्षा, जानकी प्रकाशन अशोक राजपत चौहट्टा पटना।
- कार्य योजना (1992): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995): P.W.D (समान अवसर, अधिकार और पूर्ण भागीदारी की सुरक्षा) अधिनियम 1995
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 संशोधित 2006
- मानव विकास मंत्रालय (2005) विकलांग बच्चों और युवाओं की समावेशी शिक्षा के लिए कार्य योजना।
- प्राथमिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सीसीई आधारित वर्णनात्मक संकेतक (2016) एस.सी.ई.आर.टी वरुण मार्ग, डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली।
- एनसीईआरटी (2006) शिक्षा में अक्षमता वाले बच्चों और युवाओं को शामिल करते हुए : अभ्यास के लिए उत्साहित, एनसीईआरटी नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986: एमएचआरडी भारत सरकार नई दिल्ली
- नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999: नेशनल ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999 सामाजिक न्याय एवं अधिअकारिता मंत्रालय , भारत सरकार नई दिल्ली।
- मंगल एस.के. (2019), एक समावेशी स्कूल बनाना, पी.एच.आई. लर्निंग पब्लिकेशन,दिल्ली
- एनसीईआरटी (2019) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन (एनसीईआरटी) दिल्ली।
- RPWD अधिनियम 2016
- भारत में विकलांग व्यक्ति एक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल 2016,दिल्ली
- दृष्टि आई .ए.एस. का प्रपत्र

हैंडबुक ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन,(2020) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,शैक्षणिक इकाई, शिक्षा सदन, 17,राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002